

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.18(10)नविवि / HILL POLICY / 2018

दिनांक

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.08.2023 की पालना में नगरीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ों के संरक्षण हेतु मॉडल विनियम-2018 में संशोधन किये जाने एवं विनियमों को रिफ्रेम किये जाने हेतु दिनांक 10.11.2023 को समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति में श्री एच.एस. संचेती, प्रमुख सलाहकार, नगर नियोजन विभाग को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वर्तमान में श्री संचेती का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।

अतः पूर्व में गठित समिति के अन्य समस्त सदस्यों को यथावत रखते हुए श्री एच.एस. संचेती के स्थान पर मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(रवि विजय)

उप शासन सचिव- प्रथम

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निदेश, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. कलक्टर, उदयपुर।
8. कलक्टर, राजसमन्द।
9. कलक्टर, बांसवाडा।
10. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त-----।
12. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
13. जोनल वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर।
14. इण्डियन आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन।
15. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
16. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
7747135



Signature valid

Digitally signed by Ravi Vijay
Designation: Deputy Secretary To
Government
Date: 2024.06.04 12:53:08 IST
Reason: Approved